



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-381 राँची, बुधवार,

28 जुलाई, 2021 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

अधिसूचना

28 जुलाई, 2021

संख्या- सी0एस0-01/आर0-02/2019-735--भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अधीन बनी झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 के नियम 6(1) के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की अधिसूचना संख्या-10, दिनांक 03 जनवरी, 2020, अधिसूचना संख्या- 118, दिनांक 29 जनवरी, 2020, अधिसूचना संख्या-1283, दिनांक- 05 नवम्बर, 2020 एवं अधिसूचना संख्या-158, दिनांक-05 फरवरी, 2021 द्वारा आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए, मुख्यमंत्री, झारखण्ड की सलाह से, झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड सरकार के मंत्रियों के बीच, सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आवंटित करते हैं-

क्र०	मंत्री का नाम	विभाग का नाम
1.	श्री आलमगीर आलम, मंत्री	1. संसदीय कार्य विभाग । 2. ग्रामीण विकास विभाग । 3. ग्रामीण कार्य विभाग । 4. पंचायती राज विभाग ।

2.	श्री रामेश्वर उराँव, मंत्री	1. वित्त विभाग । 2. योजना एवं विकास विभाग । 3. वाणिज्य-कर विभाग । 4. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।
3.	श्री जगरनाथ महतो, मंत्री	1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग । 2. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।
4.	श्री हफीजूल हसन, मंत्री	1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग । 2. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग । 3. निबंधन विभाग ।

2. इस संबंध में पूर्व में समय-समय पर निर्गत अधिसूचना द्वारा आवंटित सरकार के विभागों के शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

3. इसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
